Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)

[Arms Appeal Case No.-61/2024]

Attma Prakash..Petitioner/Appellant

Versus

The State of Bihar ……………………………………….....Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	13.06.2025	आदेश यह आर्म्स अपील वाद जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के ज्ञापांक-114/शस्त्र, दिनांक-12.6.2023 द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR अभिलेख पर है। रिट याचिका संख्या-4661/2024 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश (22.3.2024) के आलोक में इस अपील वाद का शीघ्र निस्तार किया जाना है। दिनांक-23.5.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। अपीलार्थी की ओर से Written note of Argument दाखिल है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने, अभिलेख में रक्षित कागजातों तथा LCR के अवलोकनोपरांत यह स्थिति दृष्टिगत है कि Petitioner श्री आत्मा प्रकाश पे0-डॉ0 सुरेश प्र0 यादव, सा0-वार्ड नं0-04, प्रोफेसर कॉलोनी, मधेपुरा थाना+जिला-मधेपुरा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर रिट याचिका संख्या-19174/2021 में दिनांक-20.10.2022 को पारित आदेश के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अपना आवेदन (दिनांक-09.11.2022) को विहित प्रपत्र में जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया गया। उक्त आवेदन के निस्तार में हो रहे विलंब के आलोक में Petitioner के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में MJC सं0-993/2023 दायर किया गया। MJC लंबित रहने के दौरान ही जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा आदेश ज्ञापांक-114/शस्त्र दिनांक-12.6.2023 द्वारा Petitioner के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अस्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी का कहना है कि वे सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत् हैं। तथा उन्हें अपनी एवं परिवार की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है। तथा यह कि वे शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु सभी आवश्यक अर्हता धारित करते है। जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के अपीलाधीन आदेश (ज्ञापांक-114/शस्त्र दिनांक-12.6.2023) का अवलोकन किया। उक्त आदेश के Findings में अंकित है कि "एन0पी0बोर पिस्टल अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन के अनुशंसा पत्रक पर थानाध्यक्ष, मधेपुरा के द्वारा अनुशंसा के साथ अग्रसारित किया गया है। साथ ही पूर्ववर्ती सत्यापन रिपोर्ट में 14 बिन्दुओं पर थानाध्यक्ष, मधेपुरा द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं किया है। पुलिस निरीक्षक, मधेपुरा एवं पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के द्वारा केवल अग्रसारित किया गया है, जबकि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल दण्डाधिकारी के द्वारा केवल हस्ताक्षर किया गया है। किसी भी निरीक्षी पदाधिकारियों के द्वारा आवेदक को	

	13.06.2025	किस प्रकार का खतरा है, उसका विशिष्ट रूप से प्रतिवेदित नहीं किया गया है। और न ही आवेदक से प्राप्त आवेदन में खतरा के संबंध में कोई विशिष्ट उल्लेख किया गया है। बचन बंध (प्ररूप-घ-2) अधूरा भरा हुआ है तथा शस्त्र एवं कारतूस के सुरक्षित भंडार के संबंध में आवासीय घर के सापेक्ष में जिस जमीन में आवासीय घर अवस्थित है, उसका सबूत दाखिल नहीं किया गया है। इस तरह आवेदन में काफी त्रुटियाँ परिलक्षित होता है। जबकि इससे पूर्व इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-220/शस्त्र, दिनांक-15.10.2022 के द्वारा आवेदक को निदेश दिया गया था कि आयुध नियम-2016 के तहत जारी विहित प्रपत्र में सभी स्तंभों को भरते हुए एवं सभी आवश्यक कागजात संलग्न कर अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करेंगे, लेकिन उक्त निदेश का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया गया है।'' अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जिला दण्डाधिकारी के स्तर से आर्म्स अधिनियम,1959 एवं आर्म्स नियमावली, 2016 के संगत प्रावधानों के अनुसार आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन का निस्तार किया गया है। शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन तथा अर्हता के संदर्भ में पाये गये त्रुटियों का उल्लेख अपीलाधीन आदेश में किया गया है। अपीलाधीन आदेश में Arms Act, 1959 के Section 14(3) के तहत Reasons for Refusal of Arms License यथोचित रूप से अंकित है। Petitioner की ओर से जिला दण्डाधिकारी के उक्त Findings को Disprove करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। इस अपील वाद की सुनवाई में दिनांक-31.1.2025 को Petitioner के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा के माध्यम से आवश्यक जाँच कर मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-327, दिनांक-28.03.2025 से संयुक्त प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार Petitioner के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन के संदर्भ में जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के बिन्दुओं को ही Reiterate किया गया है। सुनवाई में उक्त प्रतिवेदन में अंकित बिन्दु/ अनुशंसा को Negate करने के संदर्भ में Petitioner की ओर से कोई Admissible साक्ष्य अथवा तथ्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। उपरोक्त के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी का अपीलाधीन आदेश (ज्ञापांक-114/शस्त्र, दिनांक-12.6.2023) संगत कानूनी प्रावधानों के तहत पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ LCR निम्न न्यायालय को भेजें। Raj K. 13/6/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। Raj K. 13/6/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।